(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 327/II/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2003 पारित द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण क्रमांक 43/अ-19/2001-02 अपील

श्री उदय राज सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह छत्री
निजी चिकित्सक,
निवासी – गोरखपुर तहसील व जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर मण्डला (डिण्डौरी)

2– आशाराम परस्ते पुत्र श्री घासीराम गौड़
निवासी–ग्राम मुसण्डा तहसील व जिला – डिण्डौरी (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री बी.एन.त्यागी शासकीय सूची अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1

आदेश

(आज दिनांक 10.../06/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जलबपुर के प्रकरण क्रमांक 56/अ-1/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश

भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि नायब तहसीलदार बजाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 415/अ–19/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 20.07.1990 के अनुसार ग्राम गोरखपुर की शासकीय भूमि खसरा नं. 250/1 रकवा 0.40 एकड़ में से 0.10 एकड भूमि आवेदक उदयराज सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह को आवंटित की गयी थी उक्त आदेश के विरूद्व आशा राम पुत्र घासी राम गौड द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर मण्डल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/1994–95 प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 16.06.1995 से स्वीकार कर आवेदक के हित में जारी बंटन आदेश दिनांक 20.07.1990 निरस्त किया जाकर प्रकरण पात्रता अनुसार भूमिहीन को भूमि बंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश किये गये थे। इस आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 43/अ–19/2001–02 प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 08.09.2003 से निरस्त कर दी गयी इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अधीनसथ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया।

4– शासन के सूची अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि वर्तमान प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अन्तर्गत सुनवाई का अधिकार राजस्व मण्डल को नही है इसलिये प्रकरण सुनवाई योग्य नही है।

5– विचार योग्य यह है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत अपील/निगरानी सुनने के

अधिकार है अथवा नही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बानमौर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड मुरैना विरूद्ध म.प्र. राज्य 2012 आर.एन. 385 में व्यवस्था दी है '"Maintainability of appeal – order pased by Revenue Officer under provision of M.P. Revenue Book Circulars – appeal against such order is maintainable before Board of Revenue." अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेशो के विरूद्ध अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है इसके कारण सूची अभिभाषक का तर्क माने जाने योग्य नही है।

6– यह सही है कि कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश दिनांक 08.09.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है, नायब तहसीलदार बजाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 415/अ–19/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 20.07.1990 के अवलोकन कर पाया गया कि आवेदक को भूमि का आवंटन विधिवत् रूप से किया गया है अपर कलेक्टर मण्डला द्वारा अपने आदेश में पट्टे को निरस्त करने का कोई भी वैधानिक कारण नहीं बताया गया अकारण ही पट्टे को निरस्त किया जाना अवैधानिक व अनुचित है चूकि नायब तहसीलदार द्वारा पट्टा देते समय नियमानुसार कार्यवाही की गयी है जिसमें बिना किसी त्रुटि का उल्लेख करते हुये आदेश पारित करना नियमानुसार नहीं है। नायब तहसीलदार बजाग द्वारा भूमि का पट्टा आवेदक को उसकी पात्रता की विधिवत् जॉच करने के पश्चात् जारी किया है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर मण्डला द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.1995 से आवेदक का पट्टा निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है जहॉ तक जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश का प्रश्न है तो उनका आदेश सकारण एवं स्पष्ट

आदेश नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2003 एवं अपर कलेक्टर मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 16.06.1996 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं नायब तहसीलदार बजाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 415/अ–19/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 20.07.1990 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार न्यायालय को प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज करने के निर्देश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर